

Order Sheet [Contd]

SCFE 01 of 2019
Case No.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
21-01-2019	राज्य द्वारा श्री शरद पुरोहित एजीपी। आरोपी अनुप। प्रकरण में आज साक्षी शेरू अन्य प्रकरण में उपस्थित। उनके निवेदन पर उनकी फरारी साक्ष्य ली गयी। प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं साक्षी के कथन के अवलोकन से पाया जाता है कि आरोपी फरार होकर उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः फरारी साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को धारा 299 दप्रस के तहत फरार घोषित किया जाता है और उसके विरुद्ध बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे। प्रकरण के उपर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि प्रकरण नष्ट न किया जावे प्रकरण में आरोपी फरार है। प्रकरण रिकार्ड रूम दाखिल हो।  (के.एस. बारिया) अपर सत्र न्यायाधीश धरमपुरी, जिला धार	 स्थिति में वारंट जारी 